पत्र सं0- सिं०यो०मो०-43/2017 पार्ट II- 115

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक

संतोष कुमार मल्ल,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता, सिंचाई सृजन,
जल संसाधन विभाग, डिहरी/ औरंगाबाद/ गया/ नालन्दा (बिहारशरीफ)/
भागलपुर/ दरभंगा/ सहरसा/ मोतीहारी/ सिवान ।

पटना, दिनांक- 26/02/2026

विषय- रब्बी सिंचाई अनुदेश 2025-26

महाशय,

रब्बी सिंचाई अभियान 2025-26 को सफल एवं प्रभावकारी बनाने हेतु सिंचाई के सभी श्रोतों से उपलब्ध जल को वैज्ञानिक एवं योजनाबद्ध तरीके से जल प्रबंधन कर रब्बी सिंचाई में वृद्धि हेतु समुचित उपयोग करना आवश्यक है ।

1. इस वर्ष विभाग की वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से 5.29 लाख हेक्टयर क्षेत्र में रब्बी सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है । रब्बी सिंचाई 2025-26 के लिए मुख्य अभियंताओं के परिक्षेत्राधीन परियोजनावार/ नहरवार लक्ष्य की विवरणी संलग्न है । रब्बी सिंचाई के इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित निदेश दिये जाते है:-

(i) नहरों में सिंचाई के लिये उपलब्ध जल का बेहतर उपयोग करते हुए अन्तर्विभागीय समन्वय द्वारा रब्बी सिंचाई 2025-26 का अभियान प्रभावकारी बनाया जाय, ताकि लक्ष्य के अनुरुप सिंचाई एवं सूदकार हो सके ।

(ii) सभी नहर प्रणालियों में जलश्राव की अधियाचना Indent & Discharge Portal पर की जायेगी ।

(iii) रब्बी सिंचाई 2025-26 के सफल कार्यान्वयन हेतु मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता अपने स्तर पर पूर्व की भाँति एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करेंगे तथा नहर प्रणालियों से दी जाने वाली सिंचाई का गहन प्रबोधन करते हुए यह सुनिश्चत करेंगे कि सिंचाई एवं नहरों में पानी की उपलब्धता से संबंधित सूचना/ प्रतिवेदन नियमित रूप से प्रतिदिन प्रातः 8.00 बजे एवं साप्ताहिक सिंचाई उपलब्धि प्रतिवेदन (साप्ताहांत शुक्रवार) विहित प्रपत्र में नियमित रूप से सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना को प्राप्त हो जाय ।

(iv) रब्बी सिंचाई 2025-26 के लिए निर्धारित लक्ष्य को मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता अपने अधीनस्थ कनीय अभियंता स्तर तक के पदाधिकारियों के बीच प्रमंडलवार/ जिलावार वितरित करेंगे तथा इसकी सूचना विभाग, संबंधित जिला पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी एवं कमांड क्षेत्र विकास अभिकरण को भी देगें ।

(v) नहरों के संचालन हेतु विभागीय पत्रांक-सिं०को०-01/2001 पार्ट IV-**239** दिनांक-**28.06.2024** जारी निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय । नहरों के अंतिम छोर तक जल का वितरण समरूप अनुपात में होना चाहिये, जिसके लिए क्षेत्रीय सिंचाई के प्रभारी अभियंता, मुख्य नहर के नियमन तथा नियंत्रण का भार स्वयं लेगें । जहाँ तातील प्रथा लागू नहीं है एवं जहाँ मनमाना अधिक पानी की शिकायतें है, वहाँ विशेष ध्यान देगें तथा जहाँ पानी की कमी है वहाँ तातील प्रथा लागू कर पानी छोड़ने की व्यवस्था करेगें ।

(vi) नहर संचालन प्रारम्भ होने के 07 दिनों के अंदर नहरों के अंतिम छोर तक का शत प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय मुख्य अभियंता से लेकर कनीय अभियंता तक चरणबद्ध तरीके से करते हुए नहर संचालन के संबंध में ग्रामीणों से समन्वय स्थापित कर दृष्टिगत बाधाओं को समीक्षोपरान्त दूर कराना सुनिश्चित करेंगे । तदोपरान्त रब्बी सिंचाई अवधि में कार्यपालक अभियंता स्थल भ्रमण करेंगे ताकि नहरों के अंतिम छोर के किसानों को कोई कठिनाई न हो एवं विभाग को अनावश्यक आलोचना का सामना न करना पड़े। अत: सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया जाता है कि स्थल भ्रमण कर नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे ।

(vii) अधीक्षण अभियंता/ कार्यपालक अभियंता नहरों/ वितरणियों/ उपवितरणियों का प्रतिदिन नियमित रूप से प्रबोधन करेगें एवं इसका प्रतिवेदन सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना को उपलब्ध करायेगें ।

(viii) शीर्ष/ त्रियक नियामक एवं विभिन्न शाखा नहरों में प्रवाहित जलश्राव का गहन प्रबोधन मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता स्तर पर की जायेगी । जलश्राव में यदि कोई कमी हो तो इसके सुधार हेतु अविलम्ब आवश्यक व्यवस्था करेगें तथा की गयी कार्रवाई की सूचना अपने क्षेत्र के जिलाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला परिषद् को उपलब्ध करायेगें ।

(ix) सिंचाई के प्रत्येक प्रशाखा एवं अनुमंडल का ग्रामीण नक्शे पर अंकित कमांड मैप होना चाहिये । कनीय अभियंता का दायित्व होगा कि वे अपने कार्य क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सिंचाई की उपलब्धि सुनिश्चित करेगें तथा इसका भी लेखा रखेगें कि किस क्षेत्र में किस कारण से सिंचाई में कमी हुई । सिंचाई में कमी का सत्यापन सहायक अभियंता करेगें तथा सुझाव के साथ प्रस्ताव देगें ।

(x) उपलब्ध पानी की कमी की स्थिति में, इसके सही एवं समान वितरण के लिए संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता प्रथम उत्तरदायी समझे जायेगें ।

2. रब्बी सिंचाई अभियान को सफल बनाना हमारा पुनीत कर्त्तव्य है । प्रत्येक पदाधिकारी, जो सिंचाई कार्य में संलग्न है, का प्रयास होगा कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक उपलब्धि/ सूदकार हो । जिनके कार्य क्षेत्र में लक्ष्य से अधिक सूदकार होगा वे प्रशस्ति के योग्य समझे जायेंगे तथा जिनके क्षेत्र में बिना यथेष्ट कारण के लक्ष्य से कम उपलब्धि/ सूदकार होगा उनकी चारित्री में प्रतिकूल अभियुक्ति दर्ज की जायेगी ।

अनुलग्नक:- रब्बी सिंचाई लक्ष्य 2025-26

विश्वासभाजन

25/2

(संतोष कुमार मल्ल)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक- सिं०यो०मो०-43/2017 पार्ट II-115 /पटना, दिनांक-26/02/2026

प्रतिलिपि- अनुलग्नक की प्रति के साथ माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/ माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री, कृषि विभाग के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त/ कृषि उत्पादन आयुक्त/ अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, पटना/ मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2, 3 एवं सिंचाई, पटना/ कार्यपालक अभियंता, आई०टी० केन्द्र, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनु0:- रब्बी सिंचाई लक्ष्य 2025-26

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक- सिं०यो०मो०-43/2017 पार्ट II-115 /पटना, दिनांक-26/02/2026

प्रतिलिपि- अनुलग्नक की प्रति के साथ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनु0:- रब्बी सिंचाई लक्ष्य 2025-26

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

रब्बी सिंचाई 2025-26 का निर्धारित लक्ष्य

(आंकड़ा हे० में)

मुख्य अभियन्ता परिक्षेत्र	नहर प्रणाली	सी०सी०ए०	विकसित सी०सी०ए०	विगत वर्ष 2024 25 का लक्ष्य	विगत वर्ष 2024-25 की उपलब्धि	वर्तमान वर्ष 2025-26 के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तावित लक्ष्य	वर्तमान वर्ष 2025-26 का विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	प्रतिशत लक्ष्य (प्रभावी सी.सी.ए. के विरुद्ध)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
डिहरी	सोन नहर प्रणाली (पुरानी)	441075	423305	210368	208704	210369	210519	49.73	
	सोन उच्चस्तरीय नहर प्रणाली	62950	62950	30500	30241	30500	30500	48.45	
	मध्यम सिंचाई योजना	85664	71615	17181	17134	17181	17181	23.99	
	कुल	**589689**	**557870**	**258049**	**256079**	**258050**	**258200**	**46.28**	
नालंदा	मध्यम सिंचाई योजना	179637	164300	**2940**	**2916**	**3190**	**3190**	**1.94**	पानी की कमी
गया	मध्यम सिंचाई योजना	85860	70440	0	0	0	0	0.00	पानी की कमी
	सोन उच्चस्तरीय नहर प्रणाली	22022	6315	570	570	570	570	9.03	नहर निर्माणाधीन
	कुल	**107882**	**76755**	**570**	**570**	**570**	**570**	**0.74**	
औरंगाबाद	उत्तर कोयल नहर प्रणाली	123000	71920	0	0	0	0	0.00	पानी की कमी
	सोन उच्चस्तरीय नहर प्रणाली	54228	54228	18178	18178	18178	18178	33.52	
	पटना मुख्य नहर	118925	118925	51352	51352	51352	51352	43.18	
	मध्यम सिंचाई योजना	24060	16050	0	0	0	0	0.00	पानी की कमी
	कुल	**320213**	**261123**	**69530**	**69530**	**69530**	**69530**	**26.63**	
सहरसा	पूर्वी कोशी नहर प्रणाली	612000	594730	**187738**	**178348**	**0**	**0**	**0.00**	रिमॉडलिंग कार्य
दरभंगा	पश्चिमी कोशी नहर प्रणाली	203300	230940	0	0	0	0	0.00	नहर निर्माण/ पुनर्स्थापन कार्य
	कमला सिंचाई योजना (त्रिशुला, किंग्स केनाल एवं मुनहरा सिंचाई सहित)	48059	45830	1,894	1853	8,644	8,644	18.86	कमला बराज निर्माण कार्य
	कुल	**251359**	**276770**	**1894**	**1853**	**8644**	**8644**	**3.12**	
मोतीहारी	पूर्वी गंडक नहर प्रणाली	602670	487690	159058	153923	140266	140333	**28.78**	पुनर्स्थापन कार्य
सिवान	पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली	399000	328780	0	**0**	0	0	**0.00**	पुनर्स्थापन कार्य
	कुल (गंडक परियोजना):-	**1001670**	**816470**	**159058**	**153923**	**140266**	**140333**	**17.19**	
भागलपुर	चंदन जलाशय योजना	75000	75000	19138	12907	19405	19405	25.87	पानी की कमी
	बदुआ जलाशय योजना	45850	45850	9909	9476	9909	9909	21.61	
	अन्य योजना (मध्यम सिंचाई यो० सहित)	185020	135222	19535	16737	19231	19231	14.22	
	कुल (भागलपुर परिक्षेत्र):-	**305870**	**256072**	**48582**	**39120**	**48545**	**48545**	**18.96**	
	कुल योग :-	**3368320**	**3004090**	**728361**	**702339**	**528795**	**529012**	**17.61**	